पत्रांक- को०प्र०/GST–03/2017 ....

बिहार सरकार,
वित्त विभाग।
"आदेश"

पटना, दिनांक ....

कम्प्यूटरीकृत आवक
पंजीयन संख्या 157579
पंजीयन सं०- 157579
दिनांक- 04/06/2019

प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग का गोपनीय कोषांग, बिहार, पटना
पंजीयन सं०- 5088
06 JUN 2019

विषय :- CTMIS में 31.03.2019 तक कटौती की गयी GST-TDS एवं NPS अंशदानित राशि के फंड अंतरण की व्यवस्था के संबंध में।

CFMS के दिनांक 01.04.2019 से लागू होने के पूर्व CTMIS के अंतर्गत 31.03.2019 तक कार्य प्रमंडलों के डी०डी०ओ० द्वारा 8782–प्रेषण शीर्ष के माध्यम चेक द्वारा संवेदकों को भुगतान किया जाता था। प्रत्येक चेक से GST-TDS कि की गयी कटौती का भुगतान डी०डी०ओ० के द्वारा GST Portal से सृजित चालान के साथ करना होता है। कटौती की गयी GST-TDS की राशि का ससमय भुगतान करना राज्य के राजस्व संग्रहण के साथ–साथ संवेदकों के पक्ष में भी है। विलंब से राशि जमा करने के कारण विवरणी दाखिल करने में विलंब होगा। फलतः संवेदकों को कैश लेजर में उनके विपत्र से कटौती की गयी राशि क्रेडिट भी नहीं होगी और उनपर ब्याज की देयता बन सकती है। विलंब के लिए डी०डी०ओ० को भी शास्ति एवं ब्याज लगेगा। इस कारण से राज्य सरकार, संवेदकों तथा डी०डी०ओ० को समस्या का सामना करना पड़ेगा, यदि इनके अंतरण की व्यवस्था न की जाय।

2. GST-TDS की राशि को CTMIS से CFMS में अंतरित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है, परंतु राशि अंतरित करने में विलंब होगा तथा अंतरित आँकड़ों में विसंगति भी हो सकती है। इससे और भी विलंब हो सकता है। GST कटौती की गयी राशि कार्य प्रमंडलों के लेखा में पार्ट फाइल में रखी गयी है। ऐसी स्थिति में इसकी निकासी CTMIS में ही संभव है।

3. इसी प्रकार वेतन विपत्र से एन०पी०एस० मद में कटौती की गयी राशि भी मुख्यशीर्ष 8342–एन०पी०एस० अंशदान में अंतरित कर रखी गयी है। NSDL-CRA को फंड अंतरण आवश्यक है अन्यथा राज्यकर्मियों को हानि हो सकती है।

4. उपर्युक्त दायित्वों की गंभीरता के आलोक में तथा CTMIS से CFMS में अंतरित कर फंड अंतरण करने में होनेवाली कठिनाइयों/विलंब को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित आदेश दिये जाते है :-

(i) CTMIS में दिनांक 31.03.2019 तक GST-TDS मद में कटौती की गयी राशि की निकासी CTMIS से ही चेक के माध्यम से करने हेतु कार्य प्रमंडलों के डी०डी०ओ० को आदेश दिया जाता है।

(ii) कार्य प्रमंडलीय पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी जिम्मेवारी के साथ–साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि 31.03.2019 तक कटौती की गयी GST-TDS की राशि के सिवाय अन्य किसी प्रकार की निकासी नहीं की जायेगी।

JC/KO1767

(iii) CTMIS में दिनांक 31.03.2019 तक NPS मद में सरकारी एवं राज्यकर्मी अंशदान, जो विपत्र कोड 8342 में संचित है, का फंड अंतरण CTMIS में ही निष्पादित करने हेतु कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है।

(iv) कोषागार पदाधिकारी द्वारा 8782 से चेक के माध्यम से GST-TDS की निकासी की गयी राशि तथा 8342 शीर्ष से निकासी की गयी राशि का मासिक लेखा अलग से तैयार कर भौतिक रूप में महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार को हस्तगत कराया जायेगा।

(v) संबंधित कोषागार पदाधिकारी अपने स्तर से सभी कार्य प्रमंडलों को सूचना देकर केवल GST-TDS की राशि की निकासी कर कार्य प्रमंडल को हस्तगत कराने में सहयोग करेंगे।

(vi) CTMIS से 31.03.2019 तक का GST-TDS एवं NPS मद के अलावे अन्य प्रकार की राशि की निकासी या जमा नहीं की जायेगी। इसकी जिम्मेवारी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों की होगी।

उपर्युक्त आदेश में प्रधान सचिव, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

ह०/–
(कामेश्वर ओझा)
संयुक्त आयुक्त (लेखा)

ज्ञापांक– को०प्र०/GST–03/2017 4744 पटना, दिनांक 04-06-19

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
2. महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
3. सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि NPS फंड अंतरण तथा कार्य प्रमंडलों का GST-TDS की निकासी को सुनिश्चित कराया जाय।
4. सभी कार्य प्रमंडलीय पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि GST-TDS की राशि की निकासी CTMIS से करते हुए GST Portal पर चालान सृजित कर जमा किया जाय।

3.6.2019
(कामेश्वर ओझा)
संयुक्त आयुक्त (लेखा)

1063